कार्यालय आयुक्त-कर, उत्तराखंड।
(विधि-अनुभाग)
दिनांकः देहरादूनः 29 अक्टूबर, 2009

समस्त हिंदी कमिशनर (कोनिशेत) वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिशनर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन के पत्र सं-840/2009/149(120)/XXVII(8)/2006 दिनांकः 29 अक्टूबर, 2009 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अनुसूची-1 के कमांड 42 तथा अनुसूची-II (ख) के कमांड 27 पर अंकित पेस्टीडेसाइड के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण प्रेषित किया गया है ।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र की छाया प्रति सलंगन कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।
सलंगन-उपरोक्तानुसार।

(एल0एम0पन्न)
आयुक्त कर,
उत्तराखंड।

पृष्ठोंमात्र 322/ /दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1—प्रमुख सचिव, बिल्ड उत्तराखंड शासन, देहरादून।
2—महालेखाकार, उत्तराखंड वैभव पैलेस इंडियानगर, देहरादून।
3—अय्यकों/सुधा वाणिज्य कर अधिकारक देहरादून/हल्द्वानी।
4—एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊं जोन, रुद्रपुर।
5—एडिशनल कमिशनर, (आडिट)/(प्रबंधन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
6—समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यो) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां करकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अय्यकों/सचिव को उपलब्ध कराना का कार्य करें।
7—ज्वाइंट कमिशनर (आपेल) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
8— ज्वाइंट कमिशनर(वित्तअनुशासन)/पूर्व) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
9—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सविवालय परिषद देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कार्य करें।

-2-
10—श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखंड वाणिज्य कर सेवा संघ 225 आशीवाद इन्दरलैव देहरादून।
11—पोर्टल प्रबन्धक उत्तरार्थ रोटल जी0ओ0यू परियोजना कार्यालय आईआईटी0 रुड़की।
12—संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेरित कर दे।
13—इंटरनेट ईन्फो प्राइलिसर्ट 4, फेरिस रेसर म्यूनियर प्लर 13, आरा सिंहुआ मार्ग मुम्बई—400001।
14—नेशनल लो हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।
15— नेशनल लो एण्ड मैनेजमेंट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
16—लो एण्ड मैनेजमेंट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
17—डिप्टी कमिश्नर (उपराम्य कार्य) वाणिज्य कर नैनीताल।
18—डी होलसेल डीलर्स एसो 14, आड्रत बाजार, देहरादून।
19—प्रांतीय इण्डस्ट्रिज्य एसो 222/5 गंगी ग्राम, देहरादून।
20—कार्यालय अधीक्षक की केंद्रीय गार्ड फाइल हेतु।
21—विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयूक्त कर,
उत्तराखंड।
संख्या 850/2009/149(120)/xxvii(8)/2006

प्रेसकः
एल०एम०प्र०
सचिव विता
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में
अनुसूची कर
उत्तराखण्ड

विभाग : विता (अनुभाग-8)
दिनांक : देहरादून : 29 अक्टूबर, 2009

भवदीय,
कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2873/आयुक्तरूपसे/विधि-अनु0/09-10/देहरादून दिनांक 08-10-2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मूल्य विभिन्न कर अधिनियम के अनुसूची-I के क्रमांक 42 तथा अनुसूची-II(B) के क्रमांक 27 पर अन्तिक "पेस्टिसाइड" (Pesticides) पर करदेयता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में अनुसूची-I के क्रमांक 42 एवं अनुसूची-II(B) के क्रमांक 27 पर अन्तिक पेस्टिसाइड पर करदेयता एवं उसकी किस्म को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही आयुक्त कर के पत्र संख्या 973 दिनांक 20-06-2006 से किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा विघटित संख्या 237/xxvii(8)/बाणिज्य कर(१०)/2006 दिनांक 03-05-2007 द्वारा निमानुसार संशोधन किया गया है—

Schedule I
(a) For the existing entry at serial no. 42 the following entry shall be substituted-
42. Organic manure, Bio-fertilizers, Bio-micronutrients and plant growth promoters/ regulators and their herbicides, rodenticides, insecticides, weedicides and pesticides.

Schedule II(B)
For the existing entry at Sl. No. 27 the following entry shall be substituted-
27 Chemical fertilizers, Micronutrients and plant growth promoters/ regulators, and their herbicides, rodenticides, insecticides, weedicides and pesticides.

उक्त संशोधनों में पेस्टिसाइड की किस्म के सम्बन्ध में जोड़े गये वाक्यों “and their” (“और उनके”) से स्वतंत्र स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्गनिक एवं बायो पेस्टिसाइड (Organic and Bio Pesticides) कर मुक्त है तथा रासायनिक पेस्टिसाइड (Chemical Pesticides) कर योग्य है।

भवदीय
(एल०एम०प्र०)
सचिव, विता।

युवध प्रसिद्ध अनुभाग करण्याधिकार करे
उत्तराखण्ड-देहरादून

विभाग प्रम: कमांडर लोनुपोटिक